संचिका संख्या- 33/वि० –(विविध) -198/2026............1630 /वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक 19/05/2026

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड।

विषय :- निम्नतर वेतनमान के पदाधिकारी को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने की व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध में |

महाशय,

उपर्युक्त विषयक यह अवगत कराना है कि वित्त विभाग के संज्ञान में ऐसे कई मामले आये हैं, जिनमें निम्नतर वेतनमान के पदाधिकारी को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिया जा रहा है तथा कालांतर में संबंधित पदाधिकारी द्वारा धारित उच्चतर पद पर कार्यरत अवधि के वेतन के अंतर की राशि के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। इस संदर्भ में कतिपय वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के पक्ष में निर्णय दिया गया है, जैसे SLP (Civil) Diary No. 33637/2022 (LPA No. 79/2022 से उद्भूत) एवं SLP (Civil) No. 4104/2022 (LPA No. 735/2019 से उद्भूत)।

उल्लेखनीय है कि निम्नतर वेतनमान के पदाधिकारी को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में झारखण्ड सेवा संहिता में कोई प्रावधान नही है| अतः इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से प्राप्त निदेश तथा उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में अनुरोध है कि निम्नतर वेतनमान के पदाधिकारी को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने की व्यवस्था को अविलम्ब समाप्त किया जाय|

यदि कार्यहित में उच्चतर पद का प्रभार दिया जाना नितांत आवश्यक हो, तो अत्यल्प अवधि के लिए झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-103 (वित्त विभाग का पत्र 1082 दिनांक- 22.02.1988 एवं ज्ञाप संख्या-3814 दिनांक- 21.07.1992 सहपठित) के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर धारित मूल पद पर रहते हुए अतिरिक्त उच्चतर पद का प्रभार दिया जा सकेगा| साथ ही इस अवधि के दौरान नियमित प्रभार की व्यवस्था कर लिया जाना अनिवार्य होगा| अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय|

विश्वासभाजन,

18/05/26.

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव|